*हरित वित्त - शुरुआती पहल**

आर. गांधी

मित्रो,

इस बात की चुनौती के बढ़ते हुए दबाव की मान्यता बढ़ती जा रही है कि संवहनीय विकास का वित्तपोषण किया जाए, और इसके द्वारा वित्तीय पूंजी को उत्पादक, लाभप्रद तथा बड़े पैमाने पर फायदेमंद बनाते हुए इसके इस्तेमाल के अवसर का लाभ उठाया जाए। वर्ष 2016 को हरित वित्त के रूप में अभिहित किया गया है। हम यह देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अनेक राष्ट्र अपनी वित्तीय प्रणाली को संवहनीय विकास की अनिवार्यता के साथ जोड़ रहे हैं। इसलिए हम इस नई हरित वित्त की पहल का स्वागत करते हैं।

3. इस संदर्भ में, आज की सुबह ''भारत में संवहनीय वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता'' शीर्षक से यूनेप इंडिया की अंतिम इन्क्वायरी रिपोर्ट का विमोचन करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। भारत के लिए क़ायम रखने योग्य वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 2015 में जारी की गई थी जिसमें कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया गया था जो भारतीय वित्तीय प्रणाली को बदलते मौसम और विकास को क़ायम रखने योग्य अन्य प्राथमिकताओं के प्रति तैयार रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरा विचार है कि फिक्की द्वारा तैयार की गई यूनेप इंडिया इन्क्वायरी में विभिन्न हितधारकों के साथ सतत संवाद और विमर्श किया गया है। मैं यूनेप इंडिया इन्क्वायरी की भारतीय परामर्शदात्री परिषद की अध्यक्ष सुश्री नैनालाल किदवई को, फिक्की और यूनेप इंडिया इन्क्वायरी को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि अंतिम इंडिया इन्क्वायरी रिपोर्ट हितधारकों की अपेक्षाओं का स्पष्ट विहगावलोकन प्रस्तुत करेगी। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी विशेष सिफारिशें की गई होंगी जिसमें वित्तीय क्षेत्र से संवहनीय विकास की कार्यसूची के लिए आग्रह किया गया होगा। हमें खुशी होगी यदि ऐसे किसी नीतिगत परिवर्तनों के बारे में कोई परीक्षण करना पड़े जो संवहनीय विकास की दिशा में वित्त को लगाने में वित्तीय क्षेत्र की सहायता कर सके।

4. इस विषय पर सार्थक चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले संवहनीय विकास की परिभाषा से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

5. संवहनीय विकास को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन सबसे अधिक उद्धृत की जाने वाली परिभाषा ब्रटलैंड रिपोर्ट की है, जिसके अनुसार ''संवहनीय विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की उनकी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना पूरा करती है। इसमें दो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं:

- आवश्यकता की संकल्पना, खासतौर से विश्व के गरीबों की अनिवार्य आवश्यकताएं, जिसके लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और
- सीमांकन का विचार जो प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठनों की स्थिति द्वारा वातावरण की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की योग्यता पर आरोपित किया जाता है।''

संवहनीय विकास प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है?

6. संवहनीय विकास के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि वह तीन समान महत्वपूर्ण आधारों अथवा स्तंभों पर टिका होता है:

स्तंभ 1 : सामाजिक विकास

संवहनीय भविष्य के लिए ज़रूरी है कि लोगों की ज़रूरतें समान रूप से पूरी हों। आवश्यकताएं वे चीजें हैं जैसे - खाद्यान्न, उपयुकत आवास, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता अर्थात् आमतौर पर भारत में इसे रोटी, कपड़ा और मकान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, लोग यथासंभव उच्च जीवन-स्तर चाहते हैंऔर इस स्तर को इस प्रकार प्राप्त किया जाए कि उससे दूसरों को न तो कोई नुकसान हो और न ही उनका दोहन हो।

स्तंभ 2 : पर्यावरण की सुरक्षा

पृथ्वी ग्रह के संसाधन सीमित मात्रा में हैं। हम सभी को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिस पर हम निवास कर सकें तथा ज़मीन इतनी उपजाऊ हो कि वह सभी को अच्छी गुणवत्ता की खूराक मुहैया करा सके।संवहनीय मानव क्रिया-कलापों को इस प्रकार होना चाहिए कि वह पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे भावी पीढ़ी के लिए क्षतिग्रस्त न कर दिया गया हो।

---

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 अप्रैल 2016 को मुंबई में यूनेप इंडिया की अंतिम इन्क्वायरी रिपोर्ट ''भारत में संवहनीय वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता'' का शुभारंभ किया गया। सुश्री लता विश्वनाथन द्वारा दी गई सहायता की अत्यधिक सराहना की जाती है।

स्तंभ 3 : आर्थिक विकास

पूरे विश्व में लोगों को सबसे अच्छा जीवन-स्तर चाहिए जो संवहनीय हो। चिकिसा सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा को बेहतर बनाना और लोगों को इस योग्य बना देना कि वे स्वयं एक अच्छा जीवन-स्तर पाने में अपनी मदद कर सकें जिसके लिए आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संपदा के सृजन की आवश्यकता होगी। संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्धी होने की भी आवश्यकता है। बहुत मंहगे उत्पाद संवहनीय नहीं हो सकते हैं, भले ही वे पर्यावरण के लिए अनुकूल हों।

संवहनीय विकास की चुनौतियां क्या हैं?

7. विश्व की संवहनीयता के संबंध में यूएन महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल ने यह पाया है कि वर्ष 2030 तक विश्व को कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त खाद्यान्न, 45 प्रतिशत अधिक ऊर्जा और 30 प्रतिशत अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। इस समय विश्व की केवल 13 प्रतिशत ऊर्जा नवीकृत योग्य स्रोतों से प्राप्त हो रही है, किंतु जिस प्रकार से मौसम बदल रहे हैं उससे यह अनिवार्य हो गया है कि नवीकृत योग्य ऊर्जा में वृद्धि की जाए। उच्च स्तरीय पैनल ने यह रेखांकित किया है कि चुनौती इस बात की है कि ग़रीबी को समाप्त किया जाए, असमानता को कम किया जाए और विकास को समावेशी बनाया जाए तथा उत्पादन एवं उपभोग की वस्तुएं अधिक संवहनीय हों, साथ ही मौसमी परिवर्तनों के प्रभाव को दूर किया जाए एवं ग्रह की अन्य सीमाओं का ध्यान रखा जाए।'

8. संवहनीय विकास हासिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम अच्छा उत्पादन है। इससे विनिर्माता या सेवा-प्रदाता हरित, ऊर्जा-क्षम प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे जिसकी सहायता से जल कम नष्ट होगा, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार अधिक से अधिक संवहनीयता पैदा होगी।

9. किंतु, पर्यावरण-सुलभ प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों को विकसित करने एवं अंगीकार करने के लिए काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। अंकटाड के आकलन के अनुसार संवहनीय विकास के लक्ष्यों को प्रपात करने के लिए अगले वर्षों तक प्रतिवर्ष 5-7 ट्रिलियन अमरीकी डालर की ज़रूरत होगी। आगामी 15 वर्षों में विश्व को संवहनीय बुनियादी सुविधा की परिसंपत्तियों के प्रमुख क्षेत्र जैसे - भवन, ऊर्जा, परिवहन, जल और अपव्यय में तकरीबन 90 ट्रिलियन अमरीकी डालर निवेश करने होंगे - जो विश्व की सरकारी पूंजी के वर्तमान स्टाक के दो गुना से भी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी(आईईए), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन(ओईसीडी), विश्व बैंक तथा विश्व आर्थिक फोरम ने भी खर्च के इन अनुमानों की पुष्टि की है। हरित वित्तपोषण संवहनीय विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रबल उपकरण है।

भारत की इस संबंध में क्या स्थिति है?

10. ऐतिहासिक रूप से भारत ने संवहनीय विकास को सदैव कारोबार के तरीके के रूप में अपनाया है। वेदांत में कारोबार को समाज का क़नूनी एवं अनिवार्य अंग माना गया है किंतु उससे समाज के लिए उचित कार्य के तरीकों के माध्यम से संपदा का सृजन होना चाहिए। वैदिक साहित्य में 'सर्व लोक हितम' को 'हितधारकों के कल्याण' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ है कि समस्त कारोबारी उपक्रमों केलिए नैतिक और सामाजिक दायित्व की प्रणाली उनका मूल सिद्धांत होना चाहिए।

11. हाल के समय में, जैसाकि अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में हुआ है, 1990 के दशक का वैश्वीकरण एवं निजीकरण के काल में पूंजी निवेश बहुत अधिक हुआ था जिसमें आर्थिक रूप से संभाव्य नई परियोजनाओं के माध्यम से परिसंपत्तियों का सृजन किया गया, वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन हुआ था, बाज़ार का विस्तार स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक, क्षेत्र से राष्ट्र तक एवं यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हो गया था। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी फोकस में था। लेकिन मौसम में होने वाले परिवर्तन की चिंता कि व्यापक मान्यता मिली और क्योटो प्रोटोकाल का अनुसमर्थन करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है।

12. चूंकि संवहनीय विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत है जिसे केवल सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए एक ढांचा बनाया गया है जिसमें अनेक हितधारकों को शामिल किया गया है। क़ानूनी ढांचे के रूप में, कंपनी अधिनियम 2013 में यह अधिदेश है कि बड़ी कंपनियां कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) की दिशा में अपने वार्षिक औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अंशदान करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

ए. निवारक चिकित्सा सुविधा एवं आरोग्यता का संवर्धन और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता;

बी. पर्यावरणीय संवहनीयता, पर्यावरणीय संतुलन, पेड-पौधे व जीव-जंतु, पशु-कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण सुनिश्चित करना तथा मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता क़ायम रखना;

सी. अकादमिक संस्थाओं के भीतर स्थापित प्रौद्योगिकी एन्क्यूबेटर(अंडा सेने की मशीन) के लिए अंशदान या निधि का प्रावधान, और

डी. ग्रामीण विकास परियोजनाएं

13. इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई छोटी विशिष्ट स्वरूप की निधि/योजनाएं प्रारंभ कीं जैसे सूती वस्त्र उद्योग उन्नयन निधि, ऋणबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना और चमड़े के कारखानों का आधुनिकीकरण ताकि भारतीय उद्यमों में उत्पादन कार्य साफ-सुथरे ढंग से संपादित हो सके।

14. विश्व के कुछ देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जिसने कार्बन-कर की शुरुआत की है। भारत में कोयले की खानों पर अथवा भारत में आयात पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर लगाया गया है जिसकी वसूली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में की जाती है जिसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने एवं नवोन्मेष के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है।

15. भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 की वार्षिक बजट योजना में 10,192.83 करोड़ रुपए की योजना परिव्यय का प्रावधान किया है ताकि देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पर्यावरण-अनुकूल एवं संवहनीय तरीके से ऊर्जा के नये एवं नवीकरण योग्य संसाधनों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सरकार का वायु-ऊर्जा, ऊर्जा का क्षय, तटवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रीय जल अभियान एवं संवहनीय कृषि से संबंधित राष्ट्रीय अभियान के संबंध में नये अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव है। इन उपायों से पता चलता है कि भारत सरकार की ऊर्जा-क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कितनी प्रतिबद्धता है और वह 2005 तथा 2030 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता को 30 से 35 प्रतिशत तक घटाने के हमारे राष्ट्रीय अभियान में सहायता करेगी। भारत की यह कोशिश है कि सभी घरों को 24x7समय तक बिजली उपलब्ध कराने के विज़न के तहत अपनी नवीकरण योग्य ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाए। तदनुसार, नई और नवीकरणीय ऊर्जा(एमएनआरई) देश में अगले पांच वर्षों में 100000 मेगावाट की नवीकरण योग्य क्षमता को संस्थापित करने पर विचार कर रही है। इस नवीकरण की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने केलिए देश में भारी निवेश करने की आवश्यकता होगी।

संवहनीय विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

16. वित्तीय प्रणाली की सहायता के बिना चूंकि कोई विकास संभव नहीं है और ज़ोर इस बात पर है कि वित्तीय प्रणाली को संवहनीय विकास के अनुरूप बनाया जाए। हम सभी भारतीय रिज़र्व बैंक में इसके बारे में काफी सचेत हैं कि संवहनीय विकास के लिए वित्त प्रदान करने में बैंकों की भूमिका क्या हो। अभी हाल में दिसंबर 2007 में भारत में बैंकों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहल के प्रति संवेदीकृत किया गया था, साथ ही इक्वेटर सिद्धांत के प्रति भी और बैंकों से कहा गया था कि वे संवहनीय विकास एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से स्वयं को अवगत रखें तथा ऐसी प्रगति के अनुसार अपनी उधार रणनीतियों/योजनाओं में फेरबदल/संशोधन करें।

17. भारत का ध्यान वस्तुतः बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भागों को वित्तीय प्रणाली की सेवाएं उपलब्ध कराने पर था और राष्ट्रीयकरण के बाद उसमें और भी तीव्रता आ गई है। भारत में वित्तीय नीति का खास हिस्सा यह है कि बैंकों को अपने उधार का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करना है जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैसे कृषि एवं लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम। 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्य के भीतर सामाजिक बुनियादी सुविधाओं एवं नवीकृत योग्य ऊर्जा परियोजनाओं को भी इस उधार में शामिल कर दिया है। इस प्रकार से हरित वित्त को और भी बढ़ावा दिया गया। नवीकृत योग्य ऊर्जा खंड में, सौर-ऊर्जा आधारित ऊर्जा पैदा करने, बायोमास-आधारित ऊर्जा पैदा करने, वायु-मिल, माइक्रो-हायडल संयंत्र आदि पर दिए गए 15 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण को पीएसएल का हिस्सा माना जाएगा। प्रत्येक गृहस्थ के लिए ऋण की सीमा 10,00,000 रुपए होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में प्राथमिकता क्षेत्र उधार दायित्व की ट्रेडिंग के लिए बाज़ार प्रारंभ किए हैं, अतः कम लागत पर डिलेवरी को प्रोत्साहित किया गया है।

18. बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) मानदंडों को और भी उदार बनाया गया है ताकि हरित परियोजनाएं सीमा पार तक वित्त जुटाने के लिए इस विंडो का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकें। वर्तमान दिशानिर्देश ईसीबी आगमों से बकाया रुपए ऋण को चुकाने की अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते ईसीबी की न्यूनतम परिपक्वता अवधि

10 वर्ष हो या ईसीबी रुपए मूल्यवर्ग में हो। वर्तमान ईसीबी को पुनः वित्त प्रदान करने के लिए और ईसीबी जुटाया जा सकता है बशर्ते कुल लागत वर्तमान ईसीबी से कम हो और अवशिष्ट परिपक्वता कम न हो।

19. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) ने इस वर्ष जनवरी में ग्रीन बांड जारी करने एवं ऐसे बांडों को सूचीबद्ध करने के लिए एक संरचना स्थापित की है। भारत ने वर्ष 2015 में ग्रीन बांड बाज़ार में प्रवेश किया है और कुछ ही पायोनियर जारीकर्ताओं(यस बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सीएलपी विंड फार्म्स और आईडीबीआई) ने कुल 1.1 बिलियन अमरीकी डालर के ग्रीन बांड जारी किए हैं।

संवहनीयता रिपोर्टिंग

20. वर्ष 2012 में, सेबी ने वार्षिक कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग (एबीआरआर) का अधिदेश जारी किया जो कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक, पर्यावरणीय एवं कारोबार का आर्थिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश पर आधारित एक रिपोर्टिंग ढांचा है। ये दिशानिर्देश संवहनीय प्रबंधन प्रथाओं के अनुसरण के संचालक हैं और संवहनीय विकास लक्ष्यों तक पहुंचाने के माध्यम हैं।

भावी दिशा

21. हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष यह चुनौती है कि हरित वित्त को मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वाणिज्यिक उधार के निर्णयों में पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल किया जा सके और साथ ही साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सके। इसका अनिवार्य अर्थ यह हुआ कि वित्तीय प्रणाली और संवहनीय विकास को एक-दूसरे से जोड़ने की यात्रा प्रारंभ करना जिसके अनेक लक्ष्य-स्तंभ हैं। इन लक्ष्य-स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. पर्यावरणीय प्रभाव तथा हितधारकों विशेष रूप से बाज़ार के मध्यस्थों के बारे में जागरूकता विकसित करना।

बी. हरित वित्त की एक सामान्य परिभाषा विकसित करना जो सभी को स्वीकार्य हो तथा ऐसे संकेतकों का विकास करना जिनका इस्तेमाल सीमा-पार देशों में अथवा सीमा-पार बाज़ार की तुलना के लिए किया जा सके।

सी. हरित वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करना एवं उन्हें विकसित करना ताकि उन्हें बाज़ार में लाया जा सके।

डी. प्रगति की माप के लिए मेट्रिक्स के ढांचे को विकसत करना।

ई. नवोन्मेषी वित्तीय समाधान विकसित करना जो पर्यावरण सुलभ परियोजनाओं की दीर्घ-अंतिम उत्पादन आवश्यकता को सहायता प्रदान कर सके।

एफ. जोखिमों के मूल्यांकन की क्षमता में वृद्धि करना, जिसमें पर्यावरण का जोखिम भी शामिल है ताकि उन्हें उधार देने के निर्णयों में शामिल किया जा सके।

22. जहां आर्थिक विकास एवं पर्यावरण पर संतुलन बनाए रखने पर ज़ोर देते हुए इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय अलग-अलग लग सकता है, वहीं इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली को लंबे समय तक के लिए संवहनीय कार्यसूची के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

23. फिक्की और यूनेप को भविष्य में इस क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।